माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–16.05.2026 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से सभी जिलों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ VC के माध्यम से सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– VC के माध्यम से।

माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना द्वारा VC के माध्यम से उपस्थित सभी जिलों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

1. विभागीय अधिसूचना 2961 दिनांक 06.05.2026 द्वारा अधिसूचित बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। माननीय मंत्री द्वारा संशोधित नियमावली के संबंध में निम्न निदेश दिया गया :–

- संशोधित नियमावली का दृढ़तापूर्वक अनुपालन कराना सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारियों की जिम्मेवारी है।
- विभागीय अधिसूचना 2961 दिनांक 06.05.2026 द्वारा अधिसूचित बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रावधानों को निर्गत अधिसूचना के तिथि से लागू कराना सुनिश्चित करें।
- संशोधित नियमावली के वैसे प्रावधान, जिसको भविष्य में लागू किया जाना है, इस हेतु अभी से ही विस्तृत कार्य योजना तैयार कर लें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

2. <u>राजस्व समाहरण :–</u>

भोजपुर, रोहतास, नालन्दा, कैमूर, बक्सर, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी, वैशाली, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर, सारण, गोपालगंज, सीवान, सुपौल एवं मधेपुरा जिलों में गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह मई, 2025 की तुलना में 13 मई, 2026 तक राजस्व वसूली कम होने के कारण असंतोष व्यक्त किया गया एवं सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को राजस्व वसूली में तेजी लाने का निदेश दिया गया, ताकि आगामी बैठक से पूर्व माहवार निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

3. <u>बालूघाटों के नीलामी की स्थिति :–</u>

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि राज्यान्तर्गत पीला बालूघाटों की सं0–466 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं0–311 एवं वर्तमान में अनीलामित बालूघाटों की सं0–155 है। नीलामित बालूघाटों में से संचालित बालूघाटों की संख्या–204 है। इसी प्रकार उजला बालूघाटों की सं0–541 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं0–89 एवं वर्तमान में अनीलामित बालूघाटों की सं0–452 है। नीलामित उजला बालूघाटों में से

संचालित बालूघाटों की संख्या–35 है। माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा निम्न निदेश दिया गया :–

- जिन जिलों में बालूघाटों की नीलामी सम्पन्न नहीं हो पायी है, उन जिलों के सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी संबंधित समाहर्त्ता से समन्वय स्थापित कर अनीलामित बालूघाटों की नीलामी कराने हेतु अविलम्ब नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

- चूँकि नव प्रख्यापित नियमावली में स्वामिस्व दर में वृद्धि के साथ–साथ प्रत्यार्पित बालूघाट के मामले में सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण करने की प्रक्रिया प्रावधानित की गयी है। प्रत्यार्पित किये गये सभी बालूघाटों के मामले में सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण पूर्व समानुदानधारक के प्रारम्भिक वर्ष के लिए नीलामी राशि के समतुल्य अथवा बालू की खनन योग्य मात्रा X स्वामिस्व की दर, इनमें से जो अधिक हो, के आधार पर करते हुए अविलम्ब संबंधित समाहर्त्ता से समन्वय स्थापित कर पुनर्नीलामी हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराया जाय।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

4. नीलामित बालूघाटों के वैधानिक अनापत्ति :–

- औरंगाबाद जिला में 03 बालूघाट, अरवल जिला में 02, लखीसराय जिला में 01 बालूघाट, खगड़िया जिला में 01 बालूघाट, वैशाली जिला में 04 बालूघाट, बेतिया जिला में 01 बालूघाट, सिवान जिला में 01 बालूघाट, पटना जिला में 01 बालूघाट एवं मोतिहारी जिला में 03 बालूघाट अर्थात कुल–17 बालूघाटों के लिए खनन योजना अनुमोदन हेतु लंबित है। जिलावार खनन योजना हेतु लंबित बालूघाट की विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र० सं०	जिला का नाम	बालूघाट का नाम	संख्या	LOI की तिथि	बालूघाट की नीलामी की राशि	प्रथम किस्त की राशि (50%)
1	औरंगाबाद	Aurangabad Son-11B	3	29.01.2026	**11,34,00,000**	**5,67,00,000**
		AURANGABAD BLOCK 38D(PUNPUN 18-23)		13.03.2026	**1,01,92,500**	**50,96,250**
		AURANGABAD BLOCK 38C(PUNPUN 9-17)		09.04.2026	**87,81,300**	**43,90,650**
2	अरवल	Arwal Son -14 (Belaw 1C)	2	19.03.2026	**68,31,00,000**	**34,15,50,000**
		Arwal Son -14 (Belaw 1B)		19.03.2026	**8,01,90,000**	**4,00,95,000**
3	लखीसराय	Block-08	1		**7,52,97,600**	**3,76,48,800**
4	खगड़िया	Unit -02 (Rasauk Sandghat and Amni sandghat)	1	27.01.2025	**44,55,000**	**22,27,500**
5	वैशाली	Vaishali Ganga- 6C	4	22.12.2025	**2,10,87,000**	**1,05,43,500**
		Vaishali Ganga- 6D		22.12.2025	**2,01,96,000**	**1,00,98,000**
		Vaishali Ganga- 6E			**1,75,50,000**	**87,75,000**
		Vaishali Ganga- 6F			**1,84,95,000**	**92,47,500**

6	बेतिया	Unit- 10	1	31.12.2022	**7,16,04,000**	**3,58,02,000**
7	सीवान	Gayaspur Unit- 01	1	24.04.2025	**30,19,500**	**15,09,750**
8	पटना	Patna Ganga- 28F	1	19.08.2025	**1,13,89,950**	**56,94,975**
9	मोतिहारी	Gandak Satar-1	3		**28,62,000**	**14,31,000**
		Gandak Satar-1			**28,62,000**	**14,31,000**
		Gandak Unit-2(Pipra & Govindganj)			**31,96,800**	**15,98,400**
	Total		**17**		**1,14,76,78,650**	**57,38,39,325**

सभी संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि बंदोबस्तधारी से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र अनुमोदन हेतु खनन योजना विभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि ससमय खनन योजना का अनुमोदन किया जा सके। उक्त सभी बालूघाटों की बंदोबस्ती राशि 114.76 करोड़ है। बालूघाटों को ससमय संचालित हो जाने पर इस वित्तीय वर्ष में 114.76 करोड़ राजस्व सरकार को प्राप्त हो सकेगी।

(अनुपालन :—सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

- अरवल जिला में 03 बालूघाट, औरंगाबाद जिला में 03 बालूघाट, नालन्दा जिला में 04 बालूघाट, जमुई जिला में 01 बालूघाट, बाँका जिला में 04 बालूघाट, लखीसराय जिला में 01 बालूघाट, भागलपुर जिला में 01 बालूघाट, पटना जिला में 07 बालूघाट, सुपौल जिला में 02 बालूघाट है, अर्थात कुल—26 बालूघाटों का ToR लंबित/अप्राप्त है। जिलावार ToR लंबित/अप्राप्त बालूघाटों की विवरणी निम्न प्रकार है :—

क्र0	**जिला का नाम**	**बालूघाटों का नाम**	**संख्या**	**खनन योजना अनुमोदन की तिथि**	**बालूघाट की नीलामी की राशि**	**प्रथम किस्त की राशि (50%)**	**Proposal Number and Date of Submission**
1	Arwal	Arwal Son-9 (Kamta 2)	3	03.02.2026	**5,49,45,000**	**2,74,72,500**	**SIA/BR/MIN/569669/2026 Date of Submission: 29/04/2026**
		Unit- 05 (Sonbhadra-1,2,3)		05.05.2026	**82,26,900**	**41,13,450**	
		Unit- 06 (Sonbhadra-4, Bansi-1 & 2)		05.05.2026	**1,08,55,350**	**54,27,675**	
2	Aurangabad	Aurangabad Son-19C	3	05.05.2026	**10,36,53,000**	**5,18,26,500**	
		Aurangabad Son -27A		05.05.2026	**7,12,80,000**	**3,56,40,000**	
		Block-32, MOEF Son 1F		05.05.2026	**8,88,03,000**	**4,44,01,500**	
3	Nalanda	बालूघाट संख्या—01 (सकरी 1)	4	12.05.2026	**1,01,97,000**	**50,98,500**	
		बालूघाट संख्या—02 (सकरी 2)		12.05.2026	**1,10,38,500**	**55,19,250**	
		बालूघाट संख्या—03 (सकरी 3)		12.05.2026	**1,48,50,000**	**74,25,000**	
		कलस्टर संख्या—01 (सकरी 6, सोईवा		12.05.2026	**33,75,900**	**16,87,950**	

		4)					
4	Jamui	Block- 09 (Kiul) Chauchon Chandbag	1	12.05.2026	**5,36,94,000**	**2,68,47,000**	
5	Banka	Banka Chanan- 04	4	31.03.2023	**9,20,70,000**	**4,60,35,000**	**SIA/BR/MIN/425650/2023 Date of Submission: 04/05/2023**
		Kurar Unit		12.01.2023	**4,09,46,400**	**2,04,73,200**	Application not found
		Sukhaniya Unit		12.01.2023	**22,45,95,000**	**11,22,97,500**	Application not found
		Badua Unit-01		06.04.2023	**4,15,80,000**	**2,07,90,000**	**SIA/BR/MIN/425244/2023 Date of Submission: 04/07/2023**
6	Lakhisarai	Kiul Block-12	1	06.01.2026	**6,78,58,560**	**3,39,29,280**	
7	Bhagalpur	Koshi Unit	1	25.08.2023	**97,20,000**	**48,60,000**	**SIA/BR/MIN/442820/2023 Date of Submission: 02/09/2023**
8	Patna	Patna Ganga-1D	7	07.10.2024	**1,78,20,000**	**89,10,000**	
		Patna Ganga-1E		10.09.2024	**1,63,35,000**	**81,67,500**	
		Patna Ganga-1F		10.09.2024	**1,93,05,000**	**96,52,500**	
		Patna Ganga-1G		07.10.2024	**1,48,50,000**	**74,25,000**	
		Patna Ganga-2A		13.02.2026	**2,16,00,000**	**1,08,00,000**	
		Patna Ganga-2B		13.02.2026	**1,75,50,000**	**87,75,000**	
		Patna Ganga-2C		13.02.2026	**1,48,50,000**	**74,25,000**	
9	Supaul	Unit- 01	2	22.02.2023	**33,85,800**	**16,92,900**	**SIA/BR/MIN/421224/2023 Date of Submission: 06/03/2023**
		Unit- 03		23.02.2023	**33,39,000**	**16,69,500**	**SIA/BR/MIN/420197/2023 Date of Submission: 26/07/2024**
Total			**26**		**1,03,67,23,410**	**51,83,61,705**	

ToR प्राप्त किया जाना EC प्राप्त किये जाने का प्रारम्भिक चरण होता है। 26 बालूघाटों का ToR काफी दिनों से लंबित है। ToR लंबित होने एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण राज्य सरकार को राजस्व के रूप में लगभग 103.67 करोड़ राजस्व का नुकसान हो रहा है, जो अत्यंत गंभीर मामला है। इस पर काफी नाराजगी व्यक्त की गयी एवं सभी संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि व्यक्तिगत अभिरूचि लेते हुए बालूघाट के संबंधित उच्चतम डाकवक्ता एवं उनके RQP Consultant से समन्वय स्थापित कर मामले का निराकरण कराते हुए ToR प्राप्त करने की दिशा में अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

- पीला बालूघाट के मामले में औरंगाबाद जिला में 12 बालूघाट, गया जिला में 01 बालूघाट, जमुई जिला में 03 बालूघाट, अरवल जिला में 12 बालूघाट, पटना जिला में 01 बालूघाट अर्थात कुल–29 पीला बालूघाट एवं उजला बालूघाट के मामले में पटना

जिला में 06 बालूघाट, मुजफ्फरपुर जिला में 04 बालूघाट, वैशाली जिला में 01 बालूघाट, बेगूसराय जिला में 03 बालूघाट, सारण जिला में 01 बालूघाट अर्थात कुल–15 उजला बालूघाट लोक सुनवाई हेतु लंबित है। जिलावार लोक सुनवाई हेतु लंबित बालूघाटों की विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0	जिला का नाम	बालूघाटों / कलस्टर का नाम	लोक सुनवाई हेतु लंबित बालूघाटों की संख्या	TOR Grant होने की तिथि	बालूघाट की नीलामी की राशि	प्रथम किस्त की राशि (50%)
पीला बालूघाट						
1	Aurangabad	औरंगाबाद सोन-16B	12	12.11.2025	**12,47,40,000**	**6,23,70,000**
		औरंगाबाद सोन-2C		12.11.2025	**7,27,65,000**	**3,63,82,500**
		औरंगाबाद सोन-12A		12.11.2025	**10,39,50,000**	**5,19,75,000**
		औरंगाबाद सोन-12B		18.10.2025	**9,80,10,000**	**4,90,05,000**
		औरंगाबाद सोन-15B		19.11.2025	**10,39,50,000**	**5,19,75,000**
		औरंगाबाद सोन-18A		12.11.2025	**12,96,00,000**	**6,48,00,000**
		औरंगाबाद सोन-18C		12.11.2025	**10,03,86,000**	**5,01,93,000**
		औरंगाबाद सोन-19A		12.11.2025	**12,55,50,000**	**6,27,75,000**
		औरंगाबाद सोन-22A		12.11.2025	**8,91,00,000**	**4,45,50,000**
		ब्लॉक -32, एमओईएफ सोन 1C		12.11.2025	**10,39,50,000**	**5,19,75,000**
		औरंगाबाद सोन-15A		10.04.2026	**8,91,00,000**	**4,45,50,000**
		औरंगाबाद सोन-11C		22.01.2026	**8,59,95,000**	**4,29,97,500**
2	Gaya	Block- 37 (Gaya Morhar 24)	1		**12,52,80,000**	**6,26,40,000**
3	Jamui	Block-10 (Kiul) Neemarang, Garsand, Bhachiar, Chandbagh	3	21-04-2023	**5,21,55,000**	**2,60,77,500**
		Block-12 (Barnar) Simaria		10-04-2023	**11,49,39,000**	**5,74,69,500**
		Block-13 (Barnar) Kolhua		16-02-2023	**15,65,10,000**	**7,82,55,000**
4	Arwal	Arwal Son-3 (Ashlampur dullah 3)	12	08.08.2024	**18,71,37,000**	**9,35,68,500**
		Arwal Son-9 (Kamta 3)		04.12.2025	**4,90,05,000**	**2,45,02,500**
		Arwal Son 10 (Masadpur1 Ghat A)		04.12.2025	**5,34,60,000**	**2,67,30,000**
		Arwal Son-11 (Masadpur 2 Ghat B)		17.11.2025	**6,66,90,000**	**3,33,45,000**
		Arwal Son-8 (Kamta Bathe 1)		10.04.2026	**8,91,00,000**	**4,45,50,000**
		Arwal Son-9 (Kamta 1)		30.03.2026	**5,94,00,000**	**2,97,00,000**
		Arwal Son 10 (Masadpur 1 Ghat C)		26.02.2026	**5,61,33,000**	**2,80,66,500**
		Arwal Son-16(Kaler Tola Pura Kothi 1)		30.03.2026	**6,23,70,000**	**3,11,85,000**
		Arwal Son-16(Kaler Tola Pura Kothi 2)		30.03.2026	**5,64,30,000**	**2,82,15,000**
		Arwal Son-16 (Kaler Tola Pura Kothi 3)		03.04.2026	**7,51,68,000**	**3,75,84,000**

		Arwal Son -15 (Belaw 2A)		11.05.2026	**7,12,80,000**	**3,56,40,000**
		Arwal Son -14 (Belaw 1A)		11.05.2026	**10,96,20,000**	**5,48,10,000**
5	Patna	Patna Sone Cluster-11B	1	11.05.2026	**23,23,37,160**	**11,61,68,580**
Total			**29**		**2,84,41,10,160**	**1,42,20,55,080**
उजला बालूघाट						
6	Patna	पटना गंगा बालूघाट संख्या– 1-C	6	28-03-2025	**2,22,75,000**	**1,11,37,500**
		गंगा नदी के बालूघाट संख्या–7-G		03.04.2026	**2,89,57,500**	**1,44,78,750**
		Patna Ganga Sand Ghat 03-B		10.04.2026	**1,35,00,000**	**67,50,000**
		Patna Ganga Sand Ghat 2-D		10.04.2026	**1,62,00,000**	**81,00,000**
		Patna Ganga Sand Ghat 03-A		10.04.2026	**1,21,50,000**	**60,75,000**
		Patna Ganga Sand Ghat 2-E		10.04.2026	**1,68,75,000**	**84,37,500**
7	Muzaffarpur	मूरौल / बैधनाथपुर	4	24-05-2024	**1,56,27,150**	**78,13,575**
		मोरसंडी–01		22-10-2025	**25,98,750**	**12,99,375**
		करहर–03		22-10-2025	**29,70,000**	**14,85,000**
		करहर–01		31.01.2026	**43,06,500**	**21,53,250**
8	Vaishali	Vaishali Ganga - 6B	1	31.01.2026	**1,84,14,000**	**92,07,000**
9	Begusarai	Ganga River Unit-11	3	28.03.2025	**59,40,000**	**29,70,000**
		Ganga River Unit-07		26.02.2026	**64,35,000**	**32,17,500**
		Ganga River Unit-08		26.02.2026	**39,60,000**	**19,80,000**
10	Saran	Gandak-10 (Kalighat Darihara Sarla-3)	1	07.04.2026	**1,11,37,500**	**55,68,750**
Total			**15**		**18,13,46,400**	**9,06,73,200**
Sub Total			**44**		**3,02,54,56,560**	**1,51,27,28,280**

लोक सुनवाई लंबित होने से ससमय Final EIA जमा नहीं हो पाती है, जिसके कारण SEIAA, बिहार से संबंधित बालूघाट के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत होने में विलम्ब हो रहा है। कुल 44 बालूघाटों के लिए लोक सुनवाई लंबित होने के कारण 302.54 करोड़ राजस्व का नुकसान हो रहा है, जो राजस्व के दृष्टिकोण से अत्यंत गंभीर मामला है। इस पर काफी नाराजगी व्यक्त की गयी एवं सभी संबंधित सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि व्यक्तिगत अभिरूचि लेते हुए बालूघाट के संबंधित उच्चतम डाकवक्ता, उनके RQP Consultant एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र संबंधित बालूघाटों का लोक सुनवाई कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

- भोजपुर जिला में 02 बालूघाट, औरंगाबाद जिला में 06 बालूघाट, गया जिला में 02 बालूघाट, पटना जिला में 02 बालूघाट, अरवल जिला में 02 बालूघाट, मुजफ्फरपुर जिला में 02 बालूघाट, बेगूसराय जिला में 01 बालूघाट, बाँका जिला में 04 बालूघाट, मधुबनी जिला में 04 बालूघाट, रोहतास जिला में 01 बालूघाट अर्थात कुल–26

बालूघाटों का EC लंबित है। जिलावार EC हेतु लंबित बालूघाटों की विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0	जिला का नाम	बालूघाटों / कलस्टर का नाम	EC लंबित / अप्राप्त बालूघाटों की संख्या	बालूघाट की नीलामी की राशि	प्रथम किस्त की राशि (50%)	लोक सुनवाई की तिथि	Proposal Number and Date of Submission
1	Bhojpur	Bhoj Son 22C	2	9,01,69,200	45084600	EC TRANSFER	SIA/BR/MIN/571804/2026 Date of Submission: 10/03/2026
		Bhoj Son 11		36,22,44,960	181122480	EC TRANSFER	
2	Aurngabad	AURANGABAD SON 14A	6	11,24,28,000	56214000	20.03.2026	SIA/BR/MIN/574718/2026 Date of Submission: 06/04/2026
		AURANGABAD 12C		8,76,15,000	43807500	27.02.2026	SIA/BR/MIN/571955/2026 Date of Submission: 17/04/2026
		Aurangabad Son 13B		7,72,20,000	38610000	16.04.2026	SIA/BR/MIN/576217/2026 Date of Submission: 28/04/2026
		Aurangabad Son 16C		8,28,63,000	4,14,31,500	17.03.2026	
		Aurangabad Son 15C		9,62,28,000	4,81,14,000	17.03.2026	
		Aurangabad Son 25A		5,31,63,000	2,65,81,500	25.03.2026	
3	Gaya	BLOCK-22 (GAYA MORHAR 9)	2	11,88,00,000	59400000	28.01.2026	SIA/BR/MIN/572549/2026 Date of Submission: 18/03/2026
		Block-05 (Gaya Falgu 05)		11,28,60,000	56430000	14.07.2025	
4	Patna	Patna Ganga 6E	2	1,48,50,000	7425000	02.08.2025	
		Patna Ganga Sand Ghat No. 23 F		92,21,850	46,10,925	13.04.2026	SIA/BR/MIN/576209/2026 Date of Submission: 07/05/2026
5	Arwal	ARWAL SON 11 (MASADPUR 2A)	2	5,04,90,000	25245000	26.02.2026	SIA/BR/MIN/572056/2026 Date of Submission: 12/03/2026
		Unit 7(Moglapur, Moglapur Thakurbadi, Turuk telpa Koni,		1,20,13,650	60,06,825	13.04.2026	

		Balaura)					
6	Muzaffarpur	Unit No.-02 (Morsandi Ghat-02)	2	33,07,500	1653750		SIA/BR/MIN/573816/2026 Date of Submission: 31/03/2026
		Unit No.-03 (Morsandi Ghat-03)		27,22,500	1361250		SIA/BR/MIN/573843/2026 Date of Submission: 31/03/2026
7	Begusarai	Budhi Gandak Unit 3	1	24,75,000	1237500		SIA/BR/MIN/575498/2026 Date of Submission: 14/04/2026
8	Banka	Banka Chanan 3	2	8,01,90,000	40095000	13.03.2026	
		Banka Chanan 9		9,80,10,000	49005000	13.03.2026	
9	Banka	Banka Chanan- 8	2	6,53,40,000	32670000		SIA/BR/MIN/488220/2024 Date of Submission: 01/08/2024
		Chir Unit-2		16,28,10,000	81405000		SIA/BR/MIN/489647/2024 Date of Submission: 01/08/2024
10	Madhubani	Cluster - 02	4	85,28,850	4264425		SIA/BR/MIN/489954/2024 Date of Submission:31/07/2024
		Cluster - 03		75,93,300	3796650		SIA/BR/MIN/490735/2024 Date of Submission: 01/08/2024
		Cluster - 05		1,31,76,900	6588450		SIA/BR/MIN/490732/2024 Date of Submission: 01/08/2024
		Cluster - 07		67,27,050	3363525		SIA/BR/MIN/490740/2024 Date of Submission: 01/08/2024
11	Rohtas	Son Block- 08	1	28,66,05,000	143302500	13.06.2025	SIA/BR/MIN/476700/2024 Date of Submission: 15/06/2024
Total			26	2,01,76,52,760	1,00,88,26,380		

26 बालूघाटों का EC काफी दिनों से लंबित है। EC प्राप्त नहीं होने के कारण राज्य सरकार को राजस्व के रूप में लगभग 201.76 करोड़ राजस्व का नुकसान हो रहा है। सभी संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि व्यक्तिगत अभिरूचि लेते हुए बालूघाट के संबंधित उच्चतम डाकवक्ता, उनके RQP Consultant एवं SEIAA, बिहार से समन्वय स्थापित कर EC प्राप्त करने की दिशा में अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :–संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

- अरवल जिला में 04 बालूघाट, जमुई जिला में 02 बालूघाट, वैशाली जिला में 03 बालूघाट, भोजपुर जिला में 05 बालूघाट, औरंगाबाद जिला में 08 बालूघाट, मधेपुरा जिला में 01 बालूघाट, सीतामढ़ी जिला में 01 बालूघाट, रोहतास जिला में 01 बालूघाट,

बेगूसराय जिला में 02 बालूघाट, पटना जिला में 01 बालूघाट, गोपालगंज जिला में 01 बालूघाट, गया जिला में 08 बालूघाट अर्थात कुल–37 बालूघाट कार्यादेश हेतु लंबित है। जिलावार कार्यादेश हेतु लंबित बालूघाट की विवरणी निम्न प्रकार है:–

क्र0	जिला का नाम	बालूघाटों / कलस्टर का नाम	EC लंबित / अप्राप्त बालूघाटों की संख्या	बालूघाट की नीलामी की राशि	प्रथम किस्त की राशि (50%)	EC निर्गत होने की तिथि	CTE / CTO की स्थिति
1	Arwal	Arwal Son 7 (Bathe 4)	4	6,23,70,000	31185000	04.02.2026	प्राप्त
		Arwal Son 8 (Kamta Bathe 2)		5,94,00,000	29700000	06.03.2026	प्राप्त
		Unit 3(Dhamaul, Kodmarae-2,1, Surfurpur, Bhagwatipur -1, Kurse- 3, Bhagwatipur- 2)		1,07,51,400	5375700	06.03.2026	प्राप्त
		Arwal Son 10 (Masadpur 1B)		5,04,90,000	2,52,45,000	27.03.2026	प्राप्त
2	Jamui	Block 5 (Barnar)-Dumri	2	13,99,41,000	69970500	19.02.2026	प्राप्त
		Block 4 (Barnar) Asarhua, Tola Balsom		1,39,50,000	6975000	19.02.2026	प्राप्त
3	Vaishali	Vaishali Gandak -1B	3	1,41,07,500	70,53,750	13.06.2025	प्राप्त
		Vaishi Gandak 2A		1,48,50,000	7425000	06.03.2026	प्राप्त
		Vaishi Ganga 6A		2,04,93,000	10246500	24.12.2025	प्राप्त
4	Bhojpur	Bhoj Son 29C	5	7,72,20,000	38610000	19.02.2026	
		Bhoj Son 29A		8,01,90,000	40095000	19.02.2026	
		Bhoj Son 26C		9,45,00,000	47250000	19.02.2026	
		Bhoj Son 30A		9,80,10,000	4,90,05,000	27.03.2026	
		BHOJ SON 13		21,08,70,000	10,54,35,000	EC निर्गत	
5	Aurangabad	Aurangabad Son 3B	8	6,68,25,000	3,34,12,500	22.10.2025	
		Aurangabad Sone- 2-B		7,42,50,000	37125000	19.02.2026	
		Aurangabad Sone-.-1C		8,16,75,000	40837500	19.02.2026	
		Aurangabad Son .-13A		8,91,00,000	44550000	19.02.2026	
		Aurangabad Son 28C		8,76,15,000	4,38,07,500	19.02.2026	
		Aurangabad Sone-10B		7,42,50,000	3,71,25,000	27.03.2026	
		Block 36 Aurangabad MoEF Sone-5-F		6,65,28,000	3,32,64,000	27.03.2026	
		Aurangabad Sone- 8		61,43,55,300	30,71,77,650	EC निर्गत	
6	Madhepura	Unit 2	1	52,86,600	26,43,300	04.03.2025	
7	Sitamadhi	UNIT-3 (PANRAHI GHAT)	1	87,02,100	43,51,050	19.02.2026	

8	Rohtas	Rohtas Son Block 12	1	35,26,79,184	176339592	24.03.2026	
9	Begusarai	Budhi Gandak Unit 2	2	49,50,000	24,75,000	25.02.2025	
		Budhi Gandak Unit 4		30,24,000	15,12,000	23.04.2026	
10	Patna	Patna Ganga 3C	1	1,18,80,000	59,40,000	07.12.2025	
11	Gopalganj	Jagiri Tola K	1	34,65,000	17,32,500	27.03.2026	
12	Gaya	Block 18 (Gaya morhar-05)	8	10,53,00,000	5,26,50,000	07.12.2025	
		Block 21 (Gaya morhar-08)		8,31,60,000	4,15,80,000	09.12.2025	
		Block 23 (Gaya morhar-10)		6,83,10,000	3,41,55,000	07.12.2025	
		Block- 29 (Gaya Morhar 16)		5,04,90,000	2,52,45,000	12.07.2024	
		Block- 32 (Gaya Morhar 19)		16,87,50,000	8,43,75,000	17.01.2025	
		Block- 34 (Gaya Morhar 21)		6,48,00,000	3,24,00,000	10.07.2024	
		Block- 35 (Gaya Morhar 22)		6,48,00,000	3,24,00,000	10.07.2024	
		Block- 36 (Gaya Morhar 23)		9,11,25,000	4,55,62,500	18.01.2025	
Total			**37**	3,18,84,63,084			

37 बालूघाटों में से 28 बालूघाटों के लिए EC प्राप्त होने के उपरांत CTE/CTO की प्रत्याशा में कार्यादेश निर्गत नहीं हुआ है। 09 बालूघाटों का CTE/CTO भी प्राप्त है, फिर भी एकरारनामा का निष्पादन कराकर बालूघाट का संचालन नहीं हो रहा है। 37 बालूघाटों का संचालन नहीं होने से राज्य सरकार को राजस्व के रूप में लगभग 318. 84 करोड़ राजस्व का नुकसान हो रहा है, जो अत्यंत गंभीर मामला है। इस हेतु माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा काफी रोष प्रकट किया गया एवं सभी संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया। सभी संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी व्यक्तिगत अभिरूचि लेते हुए 28 बालूघाटों के उच्चतम डाकवक्ता एवं उनके RQP Consultant से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र CTE/CTO हेतु आवेदन समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही 09 बालूघाट जिसके लिए CTE/CTO प्राप्त है, उसके उच्चतम डाकवक्ता से एक सप्ताह के अन्दर प्रथम किस्त की राशि एवं उस पर देय अन्य कर जमा कराते हुए बालूघाट के संचालन हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :–अपर सचिव/सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

5. **<u>पत्थर भूखण्डों की नीलामी :–</u>**

i. समीक्षा के क्रम में बताया गया कि शेखपुरा, गया, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर एवं बाँका जिले का जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन (DSR) प्रारूप तैयार कर ली गई है एवं नवादा जिला का DSR प्रतिवेदन अनुमोदित है। नये जिला सर्वेक्षण प्रारूप में चिह्नित पत्थर भूखण्डों की विवरणी निम्न प्रकार है :–

ii.

क्र0	जिला	चिह्नित पत्थर भूखण्डो की संख्या
1	कैमूर	01
2	गया	08
3	बाँका	01
4	शेखपुर	12
5	नवादा	06
6	औरंगाबाद	02
7	रोहतास	04
कुल		34

शेखपुरा जिलान्तर्गत कटनीकोल पत्थर भूखण्ड संख्या–15, औरंगाबाद जिलान्तर्गत पचार पत्थर भूखण्ड संख्या–02 एवं कैमूर जिलान्तर्गत मौजा मदुरना में अवस्थित पत्थर भूखण्ड पर पर्यटन के महत्व के दृष्टिकोण से आपत्ति दर्ज है, जिसकी बंदोबस्ती नहीं की जाएगी।

iii. पत्थर भूखण्डों का यथाशीघ्र नीलामी कराने हेतु सभी संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी को निम्न निदेश दिया गया :–

- अनुमण्डल स्तरीय समिति द्वारा DSR प्रारूप की पुनः समीक्षा कर यथाशीघ्र जन सामान्य की जानकारी एवं सुझाव/आपत्ति के लिए संबंधित जिला के वेबसाईट पर कम से कम 21 दिनों के लिए दिनांक 20.05.2026 तक अपलोड किया जाय।

- प्राप्त आपत्ति/सुझाव का निराकरण कर DSR प्रारूप को जिला पदाधिकारी के माध्यम से परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु SEAC को भेजा जाय।

- SEIAA, Bihar से DSR के अनुमोदन के उपरान्त यथाशीघ्र पत्थर भूखण्डों की बंदोबस्ती हेतु अग्रेत्तर की जाय।

- नवादा जिला का जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुमोदित है। तदालोक में ई–नीलामी हेतु जियो–कॉर्डिनेट सहित पत्थर खनन भूखण्ड का निर्धारण कर ली जाय।

6. **अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण क विरूद्ध कृत कार्रवाई की समीक्षा :–**

राज्यान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में अवैध खनन/परिवहन/भंडारण के विरूद्ध कुल 49737 छापेमारी, 2756 प्राथमिकी दर्ज, 719 गिरफ्तारी, 6295 जब्त वाहन एवं कुल 8423.64 लाख रूपये वसूली गयी है।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में अवैध खनन/परिवहन/भंडारण के विरूद्ध कृत कार्रवाई के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक 01.04.2026 से 13.05.2026 तक कुछेक जिलों में जप्त वाहनों की संख्या बहुत कम है, जो निम्न प्रकार है :–

क्र0	जिला	जप्त वाहनों की संख्या
1	मोतिहारी	05
2	वैशाली	05
3	शेखपुरा	04
4	समस्तीपुर	06
5	सहरसा	08
6	सुपौल	05
7	दरभंगा	04
8	शिवहर	07
9	मधेपुरा	05
10	बेतिया	08
11	गोपालगंज	04
12	मधुबनी	06
13	जहानाबाद	04
14	सीवान	01

माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध नियमित छापेमारी करने का निदेश दिया गया, ताकि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सके। अवैध खनन एवं परिवहन के विरूद्ध कार्रवाई में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों को चिह्नित कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

7. अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण क विरूद्ध प्राप्त शिकायत के आलोक में लंबित ATR की समीक्षा :–

अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण क विरूद्ध प्राप्त शिकायत के आलोक में लंबित ATR की जिलावार विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0	जिला	लंबित ATR की संख्या
1	बेगूसराय	11
2	वैशाली	05
3	मुजफ्फरपुर	04
4	खगड़िया	04

5	गया	04
6	पटना	04
7	मोतिहारी	03
8	किशनगंज	02
9	बेतिया	02
10	सुपौल	02
11	सारण	02
12	गोपालगंज	01
13	अररिया	01

सभी संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि लंबित ATR को एक सप्ताह के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। समीक्षा के क्रम पाया गया कि जिला खनन कार्यालय, बेगूसराय का ATR काफी दिनों से लंबित है। साथ ही खनिज विकास पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा विभागीय पत्रों का जवाब भी काफी विलम्ब से दिया जाता है। इस हेतु खनिज विकास पदाधिकारी एवं लिपिक, बेगूसराय से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–अपर सचिव/सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

8. जब्त बालू की नीलामी की समीक्षा :–

जब्त बालू की नीलामी की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भोजपुर, गया, बांका, बक्सर एवं सुपौल जिला में जप्त बालू की नीलामी हेतु विज्ञापन प्रकाशन नहीं किया गया है। उक्त जिलों के सभी खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र जप्त बालू की नीलामी हेतु विज्ञापन प्रकाशित करें। साथ ही सभी कार्य विभागों से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार जप्त बालू के उठाव हेतु उनसे भी अनुरोध करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

9. जब्त वाहनों का राज्यसात/अधिहरण :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी जिलों में जप्त वाहनों के संख्या की तुलना में समाहर्त्ता को राजसात हेतु भेजे गये प्रस्ताव की संख्या बहुत कम है, जिससे स्पष्ट होता है की बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित के नियम–56 के तहत 30 दिनों के अन्दर जुर्माना राशि नहीं जमा करने पर वाहन को राजसात हेतु भेज दिया जाना है, का अनुपालन जिलास्तर पर पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है। साथ ही समाहर्त्ता स्तर पर भी राजसात हेतु भेजे गये वाहनों के लिए सुनवाई काफी दिनों से लंबित पाया जा रहा है। इस हेतु सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निम्न निदेश दिया गया :–

- जप्त वाहनों के चालक/मालिक द्वारा 30 दिनों के अन्दर शमन शुल्क एवं खनिज मूल्य जमा नहीं करने की स्थिति में यथाशीघ्र राजसात तथा अधिहरण हेतु प्रस्ताव समाहर्त्ता को भेजा जाय।
- समाहर्त्ता स्तर पर राजसात हेतु भेजे गये वाहनों के लिए सुनवाई लंबित होने की स्थिति में जिला के विधि शाखा से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र सुनवाई कराना सुनिश्चित की जाय, ताकि अधिरोपित शमन शुल्क एवं खनिज मूल्य की वसूली हो सके।
- समाहर्त्ता द्वारा अधिहरित वाहनों की नीलामी यथाशीघ्र कराना सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

10. **ईंट–भट्ठों की समीक्षा :–**

राज्यान्तर्गत कुल संचालित ईंट–भट्ठों की सं0–6116 है, जिसमें से पूर्ण भुगतान करने वाले ईंट–भट्ठों की सं0–5048 एवं शून्य भुगतान करने वाले ईंट–भट्ठों की सं0–1068 है। सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि शून्य भुगतान वाले ईंट–भट्ठा के मालिकों के उपर बकाया राशि की वसूली हेतु प्राथमिकी /नीलाम पत्र वाद दायर करना सुनिश्चित करें। साथ ही बकाया राशि के वसूली हेतु नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु नीलाम पत्र पदाधिकारी से भी अनुरोध करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

11. **अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :–**

(1) मुख्यालय स्थित कन्ट्रोल रूम के प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिलास्तर पर लंबित मामलों को यथाशीघ्र पूरा करने हेतु नियमित अनुश्रवण करेंगे।

(अनुपालन :–प्रभारी कन्ट्रोल रूम (मु0))

(2) अधिसूचना संख्या– 2961 दिनांक 06.05.2026 से बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2026 अधिसूचित है। नव प्रख्यापित नियमावली में प्रत्यार्पित बालूघाटों के मामले में सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण करने के प्रावधान के साथ–साथ स्वामिस्व दर में संशोधन किया गया है। नियमावली में **"निकाले गये खनिजों के लिए वार्षिक आधार पर की गयी स्वामिस्व की संगणना वार्षिक बंदोबस्ती की राशि से यदि अधिक हो तो बंदोबस्तधारी निकाली गयी अतिरिक्त मात्रा के लिए बंदोबस्ती राशि के अतिरिक्त अत्यधिक स्वामिस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा"** का प्रावधान है। स्वामिस्व दर में संशोधन होने के उपरांत अतिरिक्त स्वामिस्व की भुगतान की देयता हो सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में नये अधिसूचित स्वामिस्व दर के आधार पर अतिरिक्त स्वामिस्व की गणना कराने एवं अतिरिक्त स्वामिस्व की पुष्टि होने की स्थिति में अतिरिक्त राशि को

खनन शीर्ष में जमा कराने हेतु सभी समाहर्त्ता को पत्र के माध्यम से अनुरोध करने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन :–अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग)

(3) माननीय खान मंत्री द्वारा बताया गया कि गोपालगंज जिला से उत्तर प्रदेश राज्य में अवैध लघु खनिज लदे वाहनों का परिचालन लगातार हो रहा है। इस हेतु धावा दल का गठन कर छापामारी कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग)

(4) कार्य विभागों द्वारा निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर लघु खनिजों यथा– मिट्टी, पत्थर, बालू एवं मोरम इत्यादि का उपयोग किया जाता है। ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग इत्यादि के संवेदकों द्वारा निर्माण कार्यो/सरकारी परियोजनाओं में उपयोग किये गये लघु खनिजों प्रयोजनार्थ रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस की प्राप्ति कर खनन मुख्य शीर्ष 0853 में जमा कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

(5) चार माह पूर्व कियुल ब्लॉक सं0–12 बालूघाट का खनन योजना अनुमोदन होने के बावजूद उच्चतम डाकवक्ता द्वारा ToR के लिए SEIAA के परिवेश पोर्टल पर अबतक आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। ToR के लिए SEIAA के परिवेश पोर्टल पर आवेदन समर्पित नहीं कराये जाने के आलोक में खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय को स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग)

(6) बेतिया जिलान्तर्गत बालूघाट यूनिट–10 का ई–नीलामी दिनांक 31.12.2022 को सम्पन्न हो गयी है, जबकि उक्त बालूघाट का अबतक खनन योजना अनुमोदित नहीं है। खनिज विकास पदाधिकारी, बेतिया से पृच्छा के क्रम में उनके द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी गयी। लगभग तीन वर्षों से अधिक समय तक बालूघाट संचालन नहीं होने के कारण राजस्व की काफी क्षति हुई है। इस हेतु खनिज विकास पदाधिकारी, बेतिया से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग)

(7) खनिज विकास पदाधिकारी, गया द्वारा बंदोबस्ती अवधि समाप्त हो चुके पत्थर भूखण्ड से पूर्ववर्ती नियमों का हवाला देते हुए खनिज उठाव की अनुमति दिये जाने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किये जाने तथा उस पत्थर भूखण्ड को जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रारूप में सम्मिलित नहीं किये जाने के आलोक में उनसे स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग)

(8) DMF के संबंध में खान मंत्रालय, भारत सरकार से लगातार मुख्यालय को पत्र प्राप्त हो रहा है। प्राप्त पत्र के आलोक में सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को सूचना/आंकड़ा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया

है। सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी 15 दिनों के अन्दर वांछित प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :–क्षेत्रीय पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित पदाधिकारी)

(8) सहयोग शिविर में खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित प्राप्त आवेदनों का यथाशीघ्र निष्पादन करने का निदेश सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को दिया गया। ससमय निष्पादन नहीं करने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

(9) ISTP के संबंध में प्रचार–प्रसार करने का निदेश सभी संबंधित पदाधिकारी को दिया गया।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–

(डॉ0 प्रमोद कुमार)

मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0:– 3479 /एम0, पटना, दिनांक :– 29.05.2026

प्रतिलिपि :– सभी समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/05/26

सरकार के अपर सचिव

सं0सं0:– 3479 /एम0, पटना, दिनांक :– 29.05.2026

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव/अवर सचिव–I,II/विधि पदाधिकारी/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी–I, II/सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी (मु0/क्षे0)/आई0टी0 प्रबंधक खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/05/26.

सरकार के अपर सचिव